न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 33/2022

सुखपाल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।

– – वादी

बनाम

1. अजीतपाल सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
2. सुखदेव सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
3. कुलदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
4. मनदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
5. सन्दीप कौर पत्नी सुखपाल सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
6. राजरथान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88, 53, 49 घोषणा, खाता विभाजन, विनिमय

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता ——**वादी**
2. श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता —**प्रतिवादी सं. 1 ता 5**
3. राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा —**प्रतिवादी सं. 6**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 07/02/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 49 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वाद के पक्षकारो का रजिस्टर्ड पता वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है।

वादी हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है जो परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है ।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 13 एमओडी–ए के खाता सं. 4 के प.नं. 50/264 के किला नं. 11, 12, 13, 16, 17 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

07.02.2022
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

1.265 हैक. नहरी व खाता सं. 3 के प.नं. 52/263 के किला नं. 18 ता 23 की 1.518 हैक. नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व अभिलेख है।

वादी व प्रतिवादी सं. 2 के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 13 एमओडी–ए के खाता सं. 79 के प.नं. 51/264, 52/263, 53/262 की कुल 5.566 हैक. ब. हि.ब. व खाता सं. 78 के प.नं. 52/261 की 1.771 हैक. ब.हि.ब. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व अभिलेख है।

प्रतिवादी सं. 2 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 18 जेआरके के खाता सं. 89 के प.नं. 46/248, 47/248 की कुल 1.923 हैक. नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व अभिलेख है ।

वादी के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 18 जेआरके के खाता सं. 91 के प.नं. 46/248 की 3.681 हैक. कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व अभिलेख है ।

चक नं. 13 एमओडी–ए के खाता सं. 66 के प.नं. 50/264, 50/265 की 3.795 हैक. मे से वादी का 59/506 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 59/506 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 949/3795 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 949/3795 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 का 4/15 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व अभिलेख है ।

वादी व प्रतिवादी सं. 2 के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 18 जेआरके के खाता सं. 46 के प.नं. 46/256 की 2.215 हैक. ब.हि.ब. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व अभिलेख है।

वादी व प्रतिवादी सं. 2 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 13 एमओडी–ए के खाता सं. 38 के प.नं. 53/262 की 2.277 हैक. मे से वादी का 3/16 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 का 5/16 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व अभिलेख है।

वादी व प्रतिवादी सं. 2 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 13 एमओडी–ए के खाता सं. 77 के प.नं. 53/261 के किला नं. 24/2, 25/1, 25/2 की 0.405 हैक. मे से वादी का 19/81 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 का 158/405 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व अभिलेख है।

वाद पत्र की दफा 3 ता 10 मे वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम वर्णित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार एवं संयुक्त खाता की कृषि भूमि है और वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने आपसी सहमति एवं काश्त की सुविधानुसार कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से विभाजन एवं विनिमय कर लिया जो निम्न प्रकार से है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

क. वादी सुखपाल सिंह को घरू बंटवारा [illegible] कृषि भूमि

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
13 एमओडी–ए	3	52/263	18 ता 23	1.518 हैक.
	4	50/264	11 ता 13, 16, 17	1.265 हैक.
	79	51/264	14 ता 25	3.036 हैक.
		52/263	24, 25	0.506 हैक.

07.02.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

66	50/264	22 ता 24, 25/.126	0.885 हैक.
78	52/261	1/1/.126,2/1/.126 3/1/.126	0.378 हैक.
77	53/261	24/2, 25/1, 25/2 की	0.405 हैक. मे से 0.253 हैक.

ख. प्रतिवादी सं. 1 अजीतपाल सिंह को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :–

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
13 एमओडी–ए	79	53/262	1, 10, 11, 12, 19 ता 22	2.024 हैक.

ग. प्रतिवादी सं. 5 सन्दीप कौर को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :–

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
13 एमओडी–ए	66	50/264	18 ता 21	1.012 हैक.

घ. प्रतिवादी सं. 3–4 को ब.हि.ब. घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :–

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
13 एमओडी–ए	66	50/264	25/2/.127	0.127 हैक.
		50/265	2 ता 8	1.771 हैक.
			कुल	1.898 हैक.

ङ प्रतिवादी सं. 1 सुखदेव सिंह को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :–

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
18 जेआरके	46	46/256	16 ता 25	2.215 हैक.
	91	46/248	1/.038, 7 ता 22	3.681 हैक.
13 एमओडी–ए	78	52/261	1/1/.102, 1/2/.025 2/1/.102, 2/2/.025 3/1/.102, 3/2/.025 4 ता 7	1.393 हैक.

च प्रतिवादी सं. 1 अजीतपाल सिंह को 1/3 हिस्सा, वादी को 1/6 हिस्सा, बलजीत कौर को 1/2 हिस्सा घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :–

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
13 एमओडी–ए	38	53/262	2 ता 4, 7 ता 9, 13,18,23	2.277 हैक.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का कब्जा वाद पत्र की द[illegible]प दफा ''क से च'' मे वर्णितानुसार बिना किसी विवाद के चला आ रहा है और वर्तमान मे भी [illegible] प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने मुताबिक घरू बंटवारा एवं तबादलानुस[illegible] है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त भूमि मुताबिक घरू बंटवारा, तबादला अनुसा[illegible]र्ज नही होने से वादी की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 11 की उप दफा ''क से च'' मे वर्णितानुसार की घोषणा, विभाजन एवं आपसी विनिमय करवाने के अधिकारी है।

07.02.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 5 से कई दफा कहा कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि मे मुताबिक पारिवारिक घरू बंटवारा, विनिमय एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवा देवे तो कुछ दिन तो प्रतिवादी सं.1 ता 5 टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया बस यही वाद कारण है ।

प्रतिवादी सं. 6 भू.धारक है इसलिए उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है ।

वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है ।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :–

घोषित किया जावे कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 वाद पत्र की दफा 11 की उप दफा ''क से च'' मे वर्णितानुसार खातेदार काश्तकार है

मुताबिक अनुतोष ''क'' वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की कृषि भूमि का आपसी विभाजन एवं विनिमय किया जावे ।

खर्चा मुकदमा दिलाया जावे ।

अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर. आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर. डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो [illegible] डिक्री की जा सकती है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसा[illegible] के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा [illegible] माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारि[illegible]मझौता धोखाधडी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

07.02.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी ...गा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49(1) मे स्पष्ट है कि कोई खातेदार अभिधारी जो ऐसे किसी क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो वह सहायक कलेक्टर से उस भूमि के जसे वह जोतता है किसी भाग का किसी अन्य खातेदार अभिधारी द्वारा जोती जाने वाले भूमि से विनिमय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि संयुक्त खाता खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 49 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित, आपसी विभाजन एवं विनिमय किया जाता है :–

क. वादी सुखपाल सिंह को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :–

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
13 एमओडी–ए	3	52/263	18 ता 23	1.518 हैक.
	4	50/264	11 ता 13, 16, 17	1.265 हैक.
	79	51/264	14 ता 25	3.036 हैक.
		52/263	24, 25	0.506 हैक.
	66	50/264	22 ता 24,	
			25/.126	0.885 हैक.
	78	52/261	1/1/.126,2/1/.126	
			3/1/.126	0.378 हैक.
	77	53/261	24/2, 25/1, 25/2 की 0.405 हैक.	
				मे से 0.253 हैक.

ख. प्रतिवादी सं. 1 अजीतपाल सिंह को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :–

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
13 एमओडी–ए	79	53/262	1, 10, 11, 12,	
			19 ता 2[illegible]	2.024 हैक.

ग. प्रतिवादी सं. 5 सन्दीप कौर को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :–

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
13 एमओडी–ए	66	50/264	18 ता 21	1.012 हैक.

घ. प्रतिवादी सं. 3–4 को ब.हि.ब. घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :–

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
13 एमओडी–ए	66	50/264	25/2/.127	0.127 हैक.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

07.02.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

		50/265	2 ता 8	1.771 हैक.
			कुल	1.898 हैक.

ड प्रतिवादी सं. 1 सुखदेव सिंह को **घरू बंटवारा** मे प्राप्त कृषि भूमि :–

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
18 जेआरके	46	46/256	16 ता 25	2.215 हैक.
	91	46/248	1/.038, 7 ता 22	3.681 हैक.
13 एमओडी–ए	78	52/261	1/1/.102, 1/2/.025	
			2/1/.102, 2/2/.025	
			3/1/.102, 3/2/.025	
			4 ता 7	1.393 हैक.

च प्रतिवादी सं. 1 **अजीतपाल** सिंह को 1/3 हिस्सा, वादी को 1/6 हिस्सा, बलजीत कौर को 1/2 हिस्सा **घरू** बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :–

चक	खाता	प.नं.	किला	तादादी
13 एम**ओडी**–ए	38	53/262	2 ता 4, 7 ता 9, 13,18,23	2.277 हैक.

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी **हो**। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि कोई वाद विवाद एवं स्थगन न हो तो अमल दरामद करे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

07.02.2022

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested